

प्रेस वार्ता

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक-03.07.2023



अब हम आपके साथ एक ऐसे सर्विस पोर्टल की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार पुलिस की कोई सीधी भूमिका नहीं है, किन्तु गुम हुए, चोरी हुए अथवा छीने गये मोबाइलों की सम्बन्ध में दूर संचार विभाग द्वारा संचालित सर्विस पोर्टल पर हम अपनी सूचना अंकित कराकर मोबाइल को बन्द कर सकते हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्विस पोर्टल को CEIR कहते हैं।

CEIR (Central Equipment Identity Register)

CEIR क्या है ?

- दूरसंचार संचार विभाग के द्वारा प्रारम्भ किया गया एक सर्विस पोर्टल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में भारत के कुछ ही राज्यों में हुयी थी अब इसे समस्त भारत वर्ष में लॉच कर दिया गया है।
- इसका उद्देश्य भारत में नकली मोबाइल बाजार पर रोक लगाना, फोन चोरी को कम करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा **Lawful Interception** के लिए **Law Enforcement Agencies** को सुविधा प्रदान करना है।

CEIR का उपयोग

- कोई भी व्यक्ति CEIR की सहायता से IMEI के द्वारा अपने खोये हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सकता है।
- इस CEIR पर एप्लीकेशन भरने के 24 घण्टे के अन्दर मोबाइल ब्लॉक होने की सुविधा है तथा मोबाइल के मिलने पर ब्लॉक फोन को अनब्लॉक भी किया जा सकता है।
- इस पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने वाले नये या पुराने फोन की क्राइम स्टेट्स हिस्ट्री भी चेक की जा सकती है।

CEIR के द्वारा चोरी हुये फोन को ट्रैक और ब्लॉक कैसे करें ?

- मोबाइल खोने/चोरी होने की स्थिति में सर्वप्रथम निकटस्थ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करें और रिपोर्ट की एक प्रति अपने साथ रखें।
- इसके बाद CEIR की वेबसाइट पर जाने पर तीन 1. ऑप्शन ब्लॉक स्टोलेन/लॉस्ट मोबाइल, 2. अनब्लॉक स्टोलेन/लॉस्ट मोबाइल तथा 3. चेक रिक्वेस्ट स्टेटस में से एक ऑप्शन ब्लॉक स्टोलेन/लॉस्ट मोबाइल पर अपने डिवाइस की सूचना IMEI, ब्रान्ड, मॉडल, रशीद इत्यादि डालें।
- Lost Information में Lost Place, Lost Date, State, District, Police Station, Police Complaint Number डालें तथा Complaint की Scan Copy भी डालें।
- आपको अपनी व्यक्तिगत सूचना भी देनी होगी।

- इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य कुछ प्रक्रिया पूरी कर आप अपना सिम ब्लॉक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
- नया या पुराना फोन खरीदते समय IMEI Status को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन से एक SMS करना होगा। SMS में KYM टाइपकर फिर स्पेस देकर 15 डिजिट का IMEI नम्बर टाइप कर 14422 पर भेज देना है।

इस प्रकार CEIR के द्वारा हम चोरी/गुम गये मोबाइल का IMEI डाल कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल फोन का दुरुपयोग किसी अपराध में नहीं किया जा सके।

फर्जी सिम के विरुद्ध कार्रवाई

बिहार पुलिस के द्वारा फर्जी सिम पर भी गम्भीरता से कार्य किया जा रहा है। आम तौर पर फर्जी सिम का अपराधकर्मियों के द्वारा अपराध कारित करने में प्रयोग किया जाता है। बिहार राज्य में साइबर क्राइम के लिए 26 फरवरी 2023 जब से डायल 1930 की सेवा (NCRP -National Cybercrime Reporting Portal) का प्रारम्भ हुआ तब से 30 अप्रैल 2023 तक इस पर अंकुश लगाये जाने हेतु बिहार पुलिस की साइबर क्राइम हेतु नोडल इकाई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 4500 फर्जी सिम का बन्द करने हेतु NCRP को रिक्वेस्ट भेजा गया, जिसमें 3667 सिम के लिए रिक्वेस्ट स्वीकार किया गया तथा 2534 सिम को बन्द किया जा चुका है।

671 POS (Point of Sale) को चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा फर्जी सिम की बिक्री की गई है। 1300 ऐसे POS को चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा Facial Recognition Software के द्वारा एक ही फोटो को Morphed कर अर्थात एक ही फोटो का बार बार अलग अलग नाम से प्रयोग कर सिम निर्गत किया गया है। शीघ्र ही ऐसे सिम बेचने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

XXXXXXXXXX